[25/7/2019]

परिशिष्ट "पां"

प्रश्न सं. [क्र. 1876]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी- 81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Fax/Phone : 0751-2231485

0751-2233116

ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org

nhaigwalior@gmail.com

Website : www.nhai.org

द्वारा ई-मेल

भा0रा0रा0प्रा0 / प0का0ई0 / ग्वा. / 2019-20 / 557. दिनांक: 16.07.2019

संशोधित-2

प्रति,

श्रीमान कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, संभाग मुरैना
मुरैना (म.प्र)

विषय: विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 1876 द्वारा मान. श्री कमलेश जाटव, विधायक, का प्रारूप उत्तर मय संक्षेपिका के प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ (1) आपका पत्र क्र. 2215 / तक / पथ / 2019-20 मुरैना, दिनांक 28.06.2019
(2) इस कार्यालय का पत्र क. भा.रा.रा.प्रा. / प.का.ई. / ग्वा. / 2019-20 /

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 1876 के माध्यम से चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

स. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	मुरैना नगर निगम सीमा एन.एच-3 पर स्थित टोल टैक्स बैरियर को संचालित करने की समय सीमा कब तक है?	मुरैना नगर निगम सीमा में रा.रा. क्र. 3 पर स्थित वर्तमान में टोल टैक्स छौंदा पर भा.रा.रा.प्रा. द्वारा ओ.एम.टी. के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30 / 12 / 2014 के अनुसार रियायतग्राही मै. आगरा-ग्वालियर पाथवेज प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क वसूला जा रहा है, जिस हेतु रियायतग्राही से 9 वर्ष का अनुबध किया गया है, जिसकी समयावधि फरवरी-2024 तक है। भा.रा.रा.प्रा. द्वारा टोल प्लाजा छौंदा का संचालन वर्ष 2003 से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ठेकेदार / रियायतग्राही के माध्यम से किया जा रहा है। भा.रा.रा.प्रा. मे टोल टैक्स समाप्त करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। सड़क निर्माण की लागत राशि वसूल होने के पश्चात् प्रचलित टोल दरों की 40 प्रतिशत राशि प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूली जावेगा।
(ख)	क्या उक्त टोल बैरियर मुरैना की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी अनैतिक तत्वो के बल पर अवैध रूप से शासकीय भूमि पर नगर निगम सीमा में टोल टैक्स लगाकर करोडो रूपयो का गोरखधंधा संचालित है? यदि हां तो उसके दोषी कौन है? दोषी के प्रति क्या कार्यवाही की जावेगी?	जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
(ग)	क्या अवैध रूप से संचालित टोल टैक्स मुरैना का विगत वर्षो में अनेक बार गोलीकाण्ड हुआ एवं मौतें भी हो चुकी है, यातायात भी घण्टों बाधित रहता है? यदि हां तो शासन जनहित में खुली लूट को बंद करने के उद्देश्य से कब तक उक्त टोल टैक्स को हटाने की कार्यवाही करेगी?	जी नहीं, वैध रूप से संचालित छौंदा टोल टैक्स पर दिनांक 24 / 02 / 2019 को गोली काण्ड की घटना घटित हुई थी, जिसकी एफआईआर रियायतग्राही द्वारा दर्ज कराई गई थी एवं उक्त घटना मे किसी की मृत्यु होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। टोल प्लाजा पर ट्रेफिक बाधित होने के संबंध मे कोई शिकायत इस कार्यालय मे प्राप्त नहीं हुई है। उक्त टोल टैक्स को हटाने की कार्यवाही प्रचलन मे नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(मनोज कुमार शर्मा)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:

1. श्रीमान क्षेत्रीय अधीकारी, भा.रा.रा.प्रा., क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., निर्माण भवन, प्रथम तल, प्लाट न. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्यालय : प्लाट नं. जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

Head Office : Plot No. G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

सड़के ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी | Building a Nation, Not Just Roads

Scanned by CamScanner